राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय जयपुर फोन नं. 0141–2227275, **Email-seprd 123@gmail.com**

प. 27 (83) ग्राविवि/अनु–5/जीकेएन/बीएसआर सॉप/बेसिक दर तुलना/2015–16/906 जयपुर दिनांक 13/5/15

जिला कलेक्टर एवं
अध्यक्ष, जिला दर निर्णायक समिति,
समस्त राजस्थान।

विषयः–पंचायत समिति दर अनुसूची में अनुमोदित श्रम,सामग्री व उपकरण की बेसिक दरें अधिक होने बाबत।

महोदय,

विभागीय सॉफ्टवेयर से सृजित दर अनुसूची तैयार करने में प्रयुक्त श्रम/सामग्री/उपकरणों की बेसिक मूल दरों के तुलनात्मक विवरण का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कुछ जिलों में मूल बेसिक दरें अधिक होने से अन्य जिलों की तुलना पर काफी अन्तर एवं भिन्नता दृष्टिगत हुई है। जिलेवार तुलनात्मक विवरण **परिशिष्ट–'1'** पर संलग्न है।

उदाहरणार्थ जोधपुर जिले में कारीगर की दर रूपये 800 प्रति दिन व कुछ जिलो में लगभग 350 रूपये प्रतिदिन है। सीकर जिले में सीमेंट की दर 315 रूपये प्रति बैग निर्धारित की गई है जबकि सिरोही एवं भरतपुर में यह 270 रूपये प्रति बैग है। जिला सवाईमाधोपुर द्वारा बंधानी की दरे रूपये 163 प्रति दिवस निर्धारित की गई है, जो न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम है। उक्त प्रकार निर्धारित दरों के अवलोकन से जिलों की अपारदर्शिता लक्षित होती है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि जिला दर निर्णायक समिति द्वारा बेसिक दरों के निर्धारण में समुचित सर्वेक्षण नही किया गया एवं जिसके अभाव में सुसंगत दरों का निर्धारण नही हो पाया है तथा यह एक विचारणीय स्थिति है।

विभागीय बीएसआर सॉफ्टवेयर से वर्ष 2015–16 की दर अनुसूची पंचायत समितिवार तैयार की जा रही है। दर अनुसूची तैयार करने हेतु सम्बंधित पंचायत समिति/जिला स्तर पर श्रम/सामग्री/उपकरण की मूल दरों का निर्धारण स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है एवं इन दरों का बीएसआर सॉफ्टवेयर में इन्द्राज करने पर संबंधित पंचायत सामेति/की दर अनुसूची, विश्लेषण व टास्क आदि रिपोर्ट/सूचनाएं सृजित हो जाती है। इसके साथ ही विभागीय सॉफ्टवेयर में किसी भी चयनित सामग्री जिला/पंचायत समिति की मूल बेसिक दरों की तुलनात्मक विवरण/रिपोर्ट प्राप्त करने का भी स्पष्ट प्रावधान है। जिसके अनुरूप किसी भी पंचायत समिति/ जिला/तुलना व समीक्षा की जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है किः–

1. दर अनुसूची हेतु प्रयुक्त श्रम/सामग्री/उपकरण को निर्धारित बेसिक दरों की आपके स्तर पर समीक्षा की जावे एवं आवश्यक होने पर पुनः सुसंगत दरों का निर्धारण करवाया जावे।
2. किसी भी आईटम की बेसिक दरे अधिक होने का कारणों का अंकन किया जावे।
3. अधिक दर प्रस्तावित करने वाले कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

आपसे अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं की सूचना दिनांक 15.5.2015 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चत करावें।

भवदीय,

संलग्न उपरोक्तानुसार

13/5/15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

OP. Sharma / Drive /BSR letter doc.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्धारण समिति जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।

अधिक्षण अभियन्ता (प्रो0)
(mukesh maheshwari)